

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

### -:: निविदा आमंत्रण सूचना ::-

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर टीकमगढ़ में निर्मित कैंटीन का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति जिला न्यायालय भवन परिसर, टीकमगढ़ में कैंटीन का संचालन करना चाहता है, वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्य-दिवस के दौरान निविदा के संबंध में आवश्यक शर्तों के अधीन जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि **दिनांक 30.11.2023 के दोपहर 03:00 बजे तक** कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा दिनांक 30.11.2023 को निविदाकर्ता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष सायं 05:00 बजे से 06:00 बजे खोली जावेगी। नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 02.12.2023 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक की जाएगी।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही विस्तृत निविदा दस्तावेज को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइट [www.mphc.gov.in/tenders](http://www.mphc.gov.in/tenders) एवं [districts.ecourts.gov.in/india/mp/tikamgarh/tender](http://districts.ecourts.gov.in/india/mp/tikamgarh/tender) पर देखा जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
टीकमगढ़ म0प्र0

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र०)

**विषय -** जिला न्यायालय परिसर टीकमगढ़ में स्थित कैटीन संचालन हेतु निविदा फार्म।

जिला न्यायालय भवन टीकमगढ़ की बिल्डिंग में स्थित कैटीन संचालन हेतु प्रतिष्ठित, पंजीकृत, प्रमाणिक, अनुभवी और पात्र फर्म या व्यक्ति जिन्होंने समान कार्य किया है या सरकार में कैटीन चला रहे हैं, से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन और इस निविदा दस्तावेज में अन्य सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले निविदाकर्ता/अधोहस्ताक्षरकर्ता जिला न्यायालय टीकमगढ़ में नियत समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निर्धारित निविदा प्रारूप/फार्म जिसमें नियम व शर्तें उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) पर उपलब्ध हैं, आवेदक/निविदाकर्ता मानूनीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट से निविदा प्रपत्र/आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट, कार्य अनुभव की प्रति और पैन नंबर “प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़” के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है -

|   |  |
|---|--|
| वार्षिक लाईसेंस शुल्क (न्यूनतम)         | -- रुपये 5,00,000/-  |
| अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपैजिट की लागत | -- रुपये 5,000/-   |
| परफार्मेंस गारण्टी/सुरक्षा निधि         | -- रुपये 40,000/-  |
| निविदा प्रपत्र का मूल्य                 | -- रुपये 1,000/-   |
| निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय   | -- दिनांक 30.11.2023 को दोपहर 03:00 बजे तक।                  |
| निविदा खुलने का समय                     | -- दिनांक 30.11.2023 को सायं 05:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक।  |
| नीलामी का समय                           | -- दिनांक 02.12.2023 से प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे। |

**नोट -** अर्नेस्ट मनी एवं निविदा प्रपत्र के मूल्य का भुगतान “प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़” के पक्ष में आहरित पुथक-पुथक बैंक ड्राफ्ट/OTC चालान के माध्यम से करना होगा। निविदा नियम और शर्त पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

  
(हितेन्द्र सिंह सिसोदिया)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
टीकमगढ़ म0प्र०

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

### कैटीन संचालन हेतु निविदा फार्म

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| निविदाकार का नाम                | ..... |
| पता                             | ..... |
| मोबाइल नंबर                     | ..... |
| आधार कार्ड नंबर                 | ..... |
| पैन कार्ड नंबर                  | ..... |
| उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तो   | ..... |
| संस्था का रजिस्ट्रेशन यदि हो तो | ..... |
| जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र यदि हो तो | ..... |

### नियम और शर्तें

01. अनुबंध की अवधि अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। अनुबंध अवधि में कैटीन संचालन का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ के अनुमोदन उपरांत अनुबंध अवधि 01-01 वर्ष अधिकतकम 02 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।
02. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा फार्म का मूल्य रूपये 1,000/- OTC चालान द्वारा शासकीय मद 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800 में जमा कर मूल रसीद प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को विचार में नहीं लिया जावेगा। आवेदन-पत्र की राशि किसी भी स्थिति में वापिसी योग्य नहीं है।
03. निविदाकर्ता को निविदा दो सीलबंध लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें एक लिफाफे पर 5,000/- रूपये के "अर्नेस्ट मर्नी/सिक्योरिटी डिपॉजिट के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000/- OTC चालान का उल्लेख कर रखा जाएगा एवं दूसरे लिफाफे में "निविदा प्रपत्र" का उल्लेख करना होगा, जिसमें निविदा प्रपत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज रखे जाएंगे। निविदा प्रपत्र नियम और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा।

04. मात्र उन्हीं निविदाकर्ताओं की निविदा मान्य की जाकर नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा, जो अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट टीकमगढ़ में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय “प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़” के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे।

05. सफल निविदाकर्ता का अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि अनुबंध समाप्ति के पश्चात वापिस कर दी जावेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट की समयावधि पूर्ण होने पर समय-समय पर नवीनीकरण की जवाबदारी सफल निविदाकर्ता की होगी।

शेष निविदाकर्ता जिनकी निविदा असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के पश्चात मूलतः निविदाकर्ता को वापिस की जावेगी।

06. नीलामी प्रक्रिया अनुसार निविदा उन बोलीदाताओं के बीच स्वीकार की जाएगी, जो इस निविदा के तहत वार्षिक लाईसेंस शुल्क के लिए उच्चतम राशि की बोली लगाएंगे।

07. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस सफल निविदाकर्ता को बोली लगाने के 07 दिवस के भीतर या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

08. कैटीन संचालन का समय कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक होगा तथा अवकाश दिवसों में आवश्यकतानुसार कैटीन का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ के निर्देशानुसार करना होगा।

09. निविदाकर्ता खाद्य/पेय पदार्थों की सूची संबंधित दरों के साथ, जो वे कैटीन में उपलब्ध करायेंगे, निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करेंगे।

10. निविदाकर्ता द्वारा कैटीन संचालन हेतु पृथक से बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान वास्तविक खपत के अनुसार संबंधित विभाग/संस्थान को करना होगा तथा कनेक्शन स्वयं के नाम पर लेना होगा।

11. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ को अधिकार होगा कि निविदाकर्ता द्वारा परिसर की साफ-सफाई उचित रूप से न किये जाने एवं खाद्य वस्तु की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखे जाने पर 100/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सके।

12. निविदाकर्ता को कैंटीन संचालन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उप-किराये पर देने, सौंपने या अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा करने पर परफार्मेंस गारण्टी जब्त कर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
13. निविदाकर्ता कैंटीन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, हर समय पूर्ण स्वच्छ और स्वच्छ स्थिति और सक्षम प्राधिकारी/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा लगाये गये किसी भी/सभी दण्ड के लिए जिम्मेदार होगा।
14. निविदाकर्ता द्वारा आवेदन के साथ कार्य के अनुभव के संबंध में सरकारी/अर्ब्द-सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन, अस्पतालों आदि में कैंटीन चलाने का कम से कम दो साल का अनुभव होना अपेक्षित है। अनुभव के संबंध में संबंधित प्रमाण निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। (**दस्तावेज संलग्न करें।**)
15. निविदाकर्ता नगर पालिका और कैंटीन चलाने के लिए आवश्यक अन्य सक्षम अधिकारियों से प्रमाण-पत्र/लाईसेंस प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। (**दस्तावेज संलग्न करें।**)
16. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता को अपने स्थापना के पंजीयन का प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन का प्रमाण-पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा। (**दस्तावेज संलग्न करें।**)
17. कैंटीन कक्ष के पास स्थित खुले स्थान पर निविदाकर्ता का कोई अधिकार नहीं होगा।
18. निविदाकर्ता को लाईसेंस प्राप्त परिसर/क्षेत्र के अनन्य कब्जे में माना जाएगा और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को कैंटीन परिसर का निरीक्षण करने के लिए कार्य अवधि के दौरान किसी भी समय परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा।
19. निविदाकर्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल/सजियों की गुणवत्ता अच्छी/ताजा गुणवत्ता की होनी चाहिए और नियम, कानून और विनियमों के अनुसार लागू होना चाहिए। विक्रेता को समय-समय पर लागू होने वाले निविदा दस्तावेज और कानून के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा बनाये रखने के लिए घोषणा/वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लंघन बिना सूचना के लाईसेंस की समाप्ति के लिए आधार होगा।

20. निविदाकर्ता द्वारा कैटीन के उपयोग हेतु नाश्ता/अन्य सेवाओं की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाएगी और असंतोषजनक पाये जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी कारण बताये लाईसेंस किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ के पास बिना किसी सूचना के भी आवश्यक समझे जाने पर जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।
21. निविदाकर्ता द्वारा उपयोग किये जा रहे कॉकरी और खाना पकाने के बर्तन आदि हमेशा अच्छी स्थिति में एवं अच्छी गुणवत्ता के रखना होंगे।
22. निविदाकर्ता के सभी नियुक्त कर्मचारी स्वच्छ एवं उचित वर्द्ध पहनेंगे तथा आई. डी. कार्ड निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा।
23. कैटीन परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति को रात में कैटीन में रहने/काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
24. कैटीन संचालन में कामगारों के आचरण/चरित्र/पूर्ववृत्त और उचित आचरण एवं व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हों, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। निविदाकर्ता को अपने सभी कर्मचारियों (स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक) का आवश्यक विवरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को प्रदान करना होगा। साथ ही श्रम विधियों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
25. निविदाकर्ता को सदैव आदेश देने में समय की पाबंदी बनाये रखनी चाहिए। निविदाकर्ता को आवश्यकता पड़ने पर संगोष्ठियों और बैठकों में नाश्ते/दोपहर के भोजन/रात्रिभोज की विशेष व्यवस्था भी करनी होगी।
26. निविदाकर्ता प्राप्त परिसर को अच्छी स्थिति में बनाये रखेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों या आपूर्तिकर्ता द्वारा परिसर को कोई नुकसान होता है, तो उसकी मरम्मत निविदाकर्ता द्वारा या तो क्षति को ठीक करके या निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित नगद खर्चों का भुगतान कर की जाएगी। किसी भी प्राकृतिक आपदा या निविदाकर्ता एवं उसके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई क्षति के लिए निविदाकर्ता से शुल्क लिया जाएगा।
27. निविदाकर्ता द्वारा प्राप्त परिसर का उपयोग केवल कैटीन के व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

28. निविदाकर्ता कैंटीन परिसर में न तो कोई खतरनाक सामान, प्रतिबंधित/अवैध/विषाक्त सामग्री, पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब आदि विक्रय नहीं करेगा।
29. निविदाकर्ता बिना अनुमति के इलेक्ट्रिक हीटर या अन्य किसी भारी शुल्क वाले बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।
30. जल संकट होने पर निविदाकर्ता को अपने खर्च पर पानी की टंकी की व्यवस्था करनी होगी।
31. निविदाकर्ता द्वारा परिसर की सुरक्षा हेतु अग्नि विनियम के अनुसार रसोई में अग्निशामक उपकरण स्थापित करेगा और परिसर को हानिरहित रखेगा और निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों की ओर से किसी संपत्ति या कर्मचारियों की ओर से आग, चोरी या लापरवाही के कारण होनी वाली किसी भी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। परिसर में किसी प्रकार की क्षति/हानि होने की स्थिति में उक्त नुकसान की भरपाई निविदाकर्ता को करना होगी। निविदा की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
32. निविदाकर्ता उक्त परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन या संरचनात्मक मरम्मत नहीं करेगा। केवल कैंटीन संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक हो और स्थाई प्रकृति का न हो, पूर्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति में दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।
33. निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में सफाई के मानक, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को न बनाये रखने की स्थिति में परफार्मेंस गारण्टी, अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट और अग्रिम किराया जब्त किया जाएगा एवं उक्त राशि समयोजन योग्य नहीं होगी।
34. प्रशासकीय समिति सफल निविदाकर्ता के कैंटीन का निरीक्षण कर सकती है और काम करने के अनुभव के समर्थन में सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट पके हुए सामान की तैयारी की जांच कर सकती है।
35. कैंटीन से संबंधित मामलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ का निर्णय अंतिम और निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
36. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय कैंटीन की रसोई में जाने का अधिकार है ताकि निविदाकर्ता द्वारा देखी जा रही स्वच्छता की स्थिति को सत्यापित किया जा सके।

37. निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज में उल्लेखित वस्तु के अलावा किसी अन्य वस्तु को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि निविदाकर्ता किसी वस्तु को सूची में जोड़ना चाहता है, तो उसे मद एवं उनकी दरों सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की अनुमति लेनी होगी।

38. लाईसेंस की उक्त अवधि या अवधि की समाप्ति या उसके पूर्व समाप्ति पर, निविदाकर्ता लाईसेंस प्राप्त कैंटीन के खाली कब्जे को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ को उसकी स्थिति में शांतिपूर्वक सौंप देगा। निविदाकर्ता की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात परिसर में उसके कब्जे को एक अतिवार के रूप में माना जाएगा और वह आगे नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

39. निविदाकर्ता एक शिकायत पुस्तिका रखेंगे, जो उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कोई भी शिकायत दर्ज करने की इच्छा रखता है, उपलब्ध करायी जायेगी और जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता को पेश करनी होगी।

40. कैंटीन संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान कैंटीन संचालक को कैंटीन का संचालन करना होगा।

41. निविदाकर्ता पक्षकारों से किसी तरह का वाद-विवाद नहीं करेगा। निविदाकर्ता अथवा उसके नियोजित कर्मचारियों द्वारा परिसर में आने वाले न्यायाधीश, कर्मचारी, अभिभाषक, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, पक्षकारों, ग्राहक से किसी भी भाँति दुर्व्यवहार व हिंसा करते पाए जाने पर एवं साथ ही महिलाओं, विकलांगों व बुजुर्गों के प्रति अनादर व असहयोग करते पाए जाने पर अर्नेस्ट मनी एवं परफार्मेंस गारण्टी की राशि जप्त कर ली जावेगी।

42. सफल निविदाकर्ता को परफार्मेंस गारण्टी के रूप में रुपये 40,000/- का राष्ट्रीयकृत बैंक में देय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट पर प्रस्तुत करना होगा। परफार्मेंस गारण्टी के रूप में जमा राशि सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध समाप्ति के 60 दिवस उपरांत बिना ब्याज के लौटाई जावेगी। सफल निविदाकर्ता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा कैंटीन कक्ष में किसी प्रकार का नुकसान किये जाने की स्थिति में नुकसान का व्यय परफार्मेंस गारण्टी के रूप में जमा राशि से किया जाएगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट की समयावधि पूर्ण होने पर समय-समय पर नवीनीकरण की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

43. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध निष्पादन करना होगा। अनुबंध निष्पादन का समस्त व्यय सफल निविदाकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।

44. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी तथा नई निविदा प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूल की जाएगी।

### कार्य का आवंटन-खुली नीलामी

अ. जिला एवं सत्र न्यायालय टीकमगढ़ के कैंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ता के चयन का आधार वार्षिक लाइसेंस फीस के लिये खुली नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाला निविदाकर्ता होगा।

ब. नीलामी दिनांक 02.12.2023 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक की जाएगी। उन्हीं निविदाकर्ताओं को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी जो अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे और जो निविदा की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते होंगे।

स. निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने के लिये अपने अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार-पत्र जारी करना होगा। अधिकार-पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

द. कैंटीन संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साथ, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा, जिसकी सूचना प्रधान जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

### **विवाद का निपटारा :-**

कोई विवाद होने पर ऐसा प्रश्न/विवाद सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकारी के संज्ञान में लाया जावेगा, जो आवश्यकता प्रतीत होने पर निराकरण हेतु जिला रजिस्ट्रार/प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग अथवा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को संदर्भित करेंगे।

### **मध्यस्थता खण्ड :-**

सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कैंटीन संचालन का कार्य, सामग्री की गुणवत्ता अथवा किसी प्रकार को कोई प्रश्न दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध अनुमान, निर्देश, आदेश या इन शर्तों से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी तरह से या अन्यथा कार्य या निष्पादन या इसे निष्पादित करने में विफलता से संबंधित है, चाहे वह कार्य की प्रगति के दौरान या पूरा होने या उसके परित्याग के बाद उत्पन्न हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

*डिल्ली*

(हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

टीकमगढ़ (म.प्र.)